न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 68/2022

अनवान : —

1. महेन्द्र पुत्र कृष्ण जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. गुलाब पुत्री कृष्ण जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— असल अप्रार्थी

2. मदन पुत्र कृष्ण जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

—तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28/3/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 353/348 के ख0न0 545, 552, 553 की कुल 24.1410है भूमि में प्रार्थी स0 1, प्रार्थी स0 2 व ततरतीबी अप्रार्थी स0 3 प्रत्येक का 3115/48282 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थीगण एव तरतीबी अप्रार्थी स0 2 की जाति नायक दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण की जाति धानक है। जमाबंदी ऑनलाईन करते समय जाति गलत दर्ज हुई है तथा प्रार्थी स0 2 का नाम गुलाब पुत्र कृष्ण दर्ज है जबकि सही वल्दीयत नाम गुलाब पुत्री कृष्ण है। जो की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी की जाति व प्रार्थी स0 2 का वल्दीयत गुलाब पुत्र कृष्ण गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपनी सही जाति धानक व गुलाब पुत्र कृष्ण मे वल्दीयत के स्थान पर गुलाब पुत्री कृष्ण दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की सही जाति धानक व प्रार्थी स0 2 का नाम गुलाब पुत्री कृष्ण दर्ज कर देवें परन्तु अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहा आखिर इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार नोहर द्वार अपने पत्रांक 1436 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि सेक्रीगेशन के दौरान प्रार्थीगण की जाति धानक की जगह नायक दर्ज हो गयी अतः प्रार्थीगण की जाति नायक की जगह धानक किया जाना उचित है एवं प्रार्थीया गुलाब पुत्र कृष्ण की जगह वल्दीयत में भी पुत्री किया जाना उचित है। वकील प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी रोही मौजा जबरासर खाता स0 348 पेश की गई जिसमें प्रार्थीगण की जाति धानक ही दर्ज है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 की सही जाति धानक है एवं प्रार्थी स0 2 का सही नाम गुलाब पुत्री कृष्ण है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अ़प्रार्थी स0 2 की जाति नायक एवं प्रार्थी स0 2 का नाम गुलाब पुत्र कृष्ण में वल्दीयत गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 353/348 के ख0न0 545, 552, 553 की कुल 24.1410है भूमि में प्रार्थी स0 1, प्रार्थी स0 2 व तरतीबी अप्रार्थी स0 3 प्रत्येक का 3115/48282 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी स0 2 जाति नायक के स्थान पर धानक एवं प्रार्थी स0 2 गुलाब पुत्र कृष्ण में वल्दीयत के स्थान पर गुलाब पुत्री कृष्ण दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी स0 2 की जाति एवं प्रार्थी स0 2 की वल्दीयत सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 रोही मौजा जबरासर के खाता स0 348/130 में भी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी की जाति धानक दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर प्रार्थी के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 353/348 के ख0न0 545, 552, 553 की कुल 24.1410है भूमि में प्रार्थी स0 1, प्रार्थी स0 2 व तरतीबी अप्रार्थी स0 3 प्रत्येक का 3115/48282 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी स0 2 की जाति नायक के स्थान पर सही जाति धानक एवं प्रार्थी स0 2 गुलाब पुत्र कृष्ण के स्थान पर सही वल्दीयत गुलाब पुत्री कृष्ण जाति धानक दुरस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested

अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण की जाति नायक व प्रार्थी स0 2 गुलाब पुत्र कृष्ण के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण की जाति नायक व प्रार्थी स0 2 गुलाब पुत्र कृष्ण के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी स0 2 की जाति नायक एवं प्रार्थी स0 2 गुलाब पुत्र कृष्ण ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:22 IST
Reason: SelfAttested